

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

न्यायालय- धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई म0प्र0

Sum Case No. 539 of 2024 Complaint or report made on REPORT

Name and address of the complainant - म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चांद जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

Name, parentage, caste and address of accused

रामनाथ कहार पिता नान्हू कहार आयु करीब 37 साल
निवासी- पांजरा थाना चांद जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

The offence complained of, and date of, its alleged commission.

आपने दिनांक 08.08.2024 को 16.00 बजे, स्थान ~~आरोपी के घर~~ रोड थाना चांद जिला छिंदवाड़ा में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 10 लीटर हाथ भट्टी की अवैध कच्ची महुआ की शराब विक्रय करने हेतु अपने कब्जे में रखी और उसे पिलाते हुए पाए गए। इसके द्वारा आपने धारा 34 (1) (क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया। जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।
क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं या प्रतिरक्षा चाहते हैं?

(धर्मेन्द्र खण्डायत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

The plea of the accused and him examination (if any)

(धर्मेन्द्र खण्डायत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause (e) clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

निर्णय

(आज दिनांक 14.08.2024 को घोषित किया)

अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ती के आधार पर धारा 34(1) क म0प्र0 आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम रामनाथ कहार पिता नान्हू कहार आयु करीब 37 साल निवासी- पांजरा थाना चांद जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश

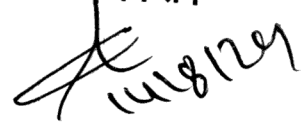
दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त आशा बाई को धारा 34(1) क म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवसान अवधि तक के कारावास एवं राशि 900/- (नौ सौ रुपये) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायें।

प्रकरण में जप्तशुदा शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जावें।

दिनांक :- 14.08.2024

स्थान:- चौरई

मेरे बोलने पर टंकित।



(धर्मेन्द्र खण्डायत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)